

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 2643/2011/जयपुर

मैसर्स गुप्ता कम्प्यूटर्स, बी-23,  
गोविन्द मार्ग, आदर्श नगर,  
जयपुर

....अपीलार्थी

बनाम

सहायक आयुक्त,  
वाणिज्यिक कर विभाग,  
वृत्त-एन, जयपुर

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री संदीप सोगानी,  
अभिभाषक  
श्री रामकरण सिंह  
उप राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से

.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 17/11/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 189/अपील्स-II/आरवीएटी/जयपुर/एन/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 12.09.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर, वृत्त-एन, जयपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 24 में पारित किये गये आदेश दिनांक 28.09.2010 को अपीलीय निर्णय द्वारा यथावत रखते हुये अपील अस्वीकार की है।

2. अपीलार्थी कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर का व्यवसायी है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा राशि रु. 19,95,391.61 पर इस आधार पर करारोपण किया कि यह राशि सर्विस पैक की है जो व्यवहारी ने उत्पादों के सम्बन्ध में एवं बिक्री के समय ही विक्रय किये गये है जिससे यह राशि अधिनियम की धारा 2(36) के अन्तर्गत विक्रय मूल्य का भाग है। कर निर्धारण अधिकारी ने राशि रु. 74,390/- की मांग कायम की। व्यवसायी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलाधीन निर्णय द्वारा अपील खारिज की गई है जिससे व्यथित होकर व्यवसायी द्वारा यह द्वितीय अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत हुई है।

3. बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

27/11/17

लगातार.....2

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कम्प्यूटर्स का विक्रय किया जाता है। साथ ही इसके रखरखाव तथा इंस्टालेशन चार्ज भी उसी बिल में वसूल किया जाता है। उन्होंने बताया कि यह सर्विस पैक वस्तु न होकर केवल सर्विस है जिस पर वेट देय नहीं है। उन्होंने आगे कथन किया कि सर्विस पैक की राशि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा बिल में अलग से वसूल की जाती है तथा इस राशि पर सर्विस टैक्स भी चार्ज किया जाता है। इस प्रकार यह सर्विस पैक अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा विक्रय किये जाने वाले सामान से पूर्णतः भिन्न है अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इस राशि पर आरोपित किया गया कर व ब्याज अविधिक होने के कारण अपास्तनीय है। अपने कथन के समर्थन में विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने Commercial Taxes Officer, Anti Evasion I, Jaipur Vs. Whirlpool India Ltd. [2013] 58 VST 177, Assistant Commercial Taxes Officer, Anti Evasion II, Rajasthan, Jaipur Vs. Electrolux Kelvinator Ltd. [2013] 64 VST 379, Tax Up-date Vol. 30 Part 2 Page No. 34, 90 STC 336, 69 STC 427 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

5. विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेश का समर्थन करते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का अनुरोध किया।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :-

8. विचाराधीन प्रकरण में व्यवसायी द्वारा सर्विस पैक माल के साथ ही विक्रय किये गये है। अपीलार्थी का कथन है कि सर्विस पैक ऑप्शनल था। सर्विस पैक के बदले कम्प्यूटर आदि की देख-रेख का निर्धारित अवधि में जिम्मेदारी व्यवसायी की थी। इसका आशय यह है कि यह कार्य माल विक्रय होने के पश्चात् होना है। इस संबंध में अधिनियम की धारा 2(36) को यहां उद्धरित किया जाना प्रासंगिक होगा जो निम्न प्रकार है :-

**2(36):- "Sale Price"** means the amount paid or payable to a dealer as consideration for the sale of any goods less any sum allowed by way of any kinds of discount or rebate according to the practice normally prevailing in the trade, but inclusive of any statutory levy or any sum charged for anything done by the dealer in respect of the goods or services rendered at the time of or before the delivery thereof, except the tax imposed under this Act;

उक्त धारा के अध्ययन से स्पष्ट है कि विक्रय मूल्य के अन्तर्गत व्यवहारी के द्वारा, माल या दी गयी सेवाओं के संबंध में उसके परिदान के समय या उसके पूर्व की गयी किसी भी बात के लिए प्रभारित किसी भी राशि को शामिल किया गया है। सर्विस पैक से संबंधित कार्य वस्तु के विक्रय या विक्रय से पूर्व नहीं है अर्थात् विक्रय के पश्चात् का है जिससे सर्विस पैक से संबंधित राशि विक्रय मूल्य का भाग नहीं मानी जा सकती। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टांत Commercial Taxes Officer, Anti Evasion I, Jaipur Vs. Whirlpool India Ltd. [2013] 58 VST 177 में निम्न प्रकार अवधारित किया गया है :-

लगातार.....3

In my considered opinion, there was enough material before the Tax Board to hold that the charge levied by the assessee towards service/warranty charges at the time of the sale was not universal but optional. Following this finding the legal consequences would be inexorable and entail exclusion of such charges from the ambit of sale price of the goods.

इस धारणा की पुष्टि न्यायिक दृष्टांत Assistant Commercial Taxes Officer, Anti Evasion II, Rajasthan, Jaipur Vs. Electrolux Kelvinator Ltd. [2013] 64 VST 379 से भी होती है। इस प्रकार इस पीठ की विनम्र राय में सर्विस पैक की राशि विक्रय मूल्य का भाग नहीं मानी जा सकती। इस दृष्टिकोण से अधीनस्थ दोनों न्यायालयों का निर्णय विधिसम्मत नहीं है।

9. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का निर्णय एवं कर निर्धारण अधिकारी का आदेश सर्विस पैक पर करारोपण की सीमा तक अपास्त किया जाता है।

10. निर्णय सुनाया गया।

In my considered opinion, there was enough material before the Tax Board to hold that the charge levied by the assessee towards service/warranty charges at the time of the sale was not universal but optional. Following this finding the legal consequences would be inexorable and entail exclusion of such charges from the ambit of sale price of the goods.

Assistant Commercial Taxes Officer, Anti Evasion II, Rajasthan, Jaipur Vs. Electrolux Kelvinator Ltd. [2013] 64 VST 379 से भी इस प्रकार इस पीठ की विनम्र राय में सर्विस पैक की राशि विक्रय मूल्य का भाग नहीं मानी जा सकती। इस दृष्टिकोण से अधीनस्थ दोनों न्यायालयों का निर्णय विधिसम्मत नहीं है।

9. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का निर्णय एवं कर निर्धारण अधिकारी का आदेश सर्विस पैक पर करारोपण की सीमा तक अपास्त किया जाता है।

( नन्दिश्रीराम )  
सदस्य